

यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

फर्द अहकाम

14/8/25 पञ्जावली पेश हुई। वक्तुल्लम
 फरीकत उप०/ वकील वादी द्वारा प्रस्तुत पत्रिका
 पर आवत करगे डावा विद्वे अन्तर्गत
 आदेश 23 नियम। CPC का अवलोकन किता
 लका वकील वादी की वदम पर मनन किता/
 जिसके आधार पर वादी का प्रार्थना पत्र
 स्वीकार किता। जाकट मुं नं. 34/2018
 आई. डी नं. 2018/00105 उन्धानी नूर बनाम
 श्रीमती विरमा देवी डावा आवत तकासा
 आराजी व स्यामी निवे धाहा अन्तर्गत
 आदेश 23 नियम। CPC के अहत डावा विद्वे
 किद जाने के कारण खारिज किता जाला है।
 पञ्जावली फैसल सुभाट होक बाद तमील
 नम्बर से कम की जाकट डाखिल दफतर
 हो। कोदेश कुले न्यायालय से
 सुनाया गया।